COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

समक्ष माननीय अध्यक्ष म0 प्र0 राजस्व मण्डल सांकेट कैम्प भोपाल

प्रकरण क्र. /निगरानी/16

देवी सिहं आ0 श्री छोटेलाल निग — 1637 - PBR-16

निवासी ग्राम भाारकच्छकला तहसील बाडी

NP 26/5/16

जिला रायसेन म0प्र0 .....आवेदक

विरूद्ध

1.मेहरवानसिहं आ0 श्री छोटेराम

2.दीवानसिहं आ0 श्री छोटेराम

3.सम्माबाई पत्नी श्री छोटेराम

निवासीगण म0न0 766 अशोका गार्डन दशमेश

नगर भोपाल म0प्र0

4.गुड्डीबाई पुत्री श्री छोटेराम

5.भूरीबाई पुत्री श्री छोटेराम

निवासीगण ग्राम भाारकच्छकला तहसील बाडी

जिला रायसेन म0प्र0 ......अनावेदकगण

म.प्र. भू राजस्व संहिता की धारा 50 के अन्तर्गत निगरानी

माननीय महोदय,

आवेदक विद्वान अनुविभागीय अधिकारी तहसील बरेली जिला रायसेन द्वारा उनके प्रकरण क0 29/अपील/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 27/02/16 से असन्तुष्ट एवं दुःखी होकर यह निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है ।

102

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1637 –पीबीआर / 16 जिला रायसेन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29–6–2016	आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–2–2016 की सत्यप्रतिलिपि का का अवलोकन किया गया । तहसीलदार द्वारा यह निष्कर्ष निकालते हुये कि तहसील न्यायालय द्वारा अनावेदकगण के हितबद्ध पक्षकार होने बावजूद भी उन्हें सूचना एवं सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है, इस कारण उनके स्वत्व प्रभावित हुये हैं । अवधि विधान की धारा का आवेदन पत्र स्वीकार किया गया है जिसमें प्रथमदृष्टया कोई अवैधानिकाता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । फलस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से इसी स्तर पर अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	